

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2022

क्रमांक/एफ 1-68/2021/1/59/पीजी (ए) : राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 469 में प्रकाशित अधिसूचना क्रं /एफ 1-68/2021/1/59/पीजी (ए) दिनांक 26/11/2021 में अधिसूचित म. प्र. एम.डी./एम. एस.(आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2021 के नियम-6, 9 एवं 12 के नीचे निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करती है:-

1. नियम 6 - "आरक्षण" के उप नियम 6.1 के कड़िका (1) :-

महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक प्रवर्ग में योग्यता (मेरिट) सह विकल्प के अनुसार 33 प्रतिशत होगा। यह आरक्षण क्षैतिजिक (हॉरिजोन्टल) तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।

2. नियम-9 - रजिस्ट्रेशन :-

रजिस्ट्रेशन शुल्क "रुपये 150/-" के स्थान पर "रुपये 500/-" प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. नियम-12 - संस्था का चयन :-

अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक च्याइस फिलिंग/संशोधन/परिवर्धन के लिये रुपये 50/- प्रति प्रकिया चरण निर्धारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(यंकज शर्मा)

उप सचिव
आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2022

क्रमांक/एफ 1-68/2021/1/59/पीजी (एन) : राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 469 में प्रकाशित अधिसूचना कं /एफ 1-68/2021/1/59/पीजी (एन) दिनांक 26/11/2021 में अधिसूचित म. प्र. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2021 के नियम- 8 एवं 11 के नीचे निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करती है:-


1. नियम-8 - रजिस्ट्रेशन :-

रजिस्ट्रेशन शुल्क "रुपये 150/-" के स्थान पर "रुपये 500/-" प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. नियम-11 - संस्था का चयन :-

अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक च्वाइस फिलिंग/संशोधन/परिवर्धन के लिये रुपये 50/- प्रति प्रकिया चरण निर्धारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पंकज शर्मा)
उप सचिव
आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल , दिनांक 26 जनवरी 2022

क्रमांक/एफ 1-68/2021/1/59/एम. डी. : राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 469 में प्रकाशित अधिसूचना क्रं /एफ 1-68/2021/1/59/एम. डी. दिनांक 26/11/2021 में अधिसूचित म. प्र. एम. डी. (होम्योपैथी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2021 के नियम- 9 एवं 12 के नीचे निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करती है:-

1. नियम-9 -- रजिस्ट्रेशन :-

रजिस्ट्रेशन शुल्क "रुपये 150/-" के स्थान पर "रुपये 500/-" प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. नियम-12 -- संस्था का चयन :-

अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक च्वाइस फिलिंग/संशोधन/परिवर्धन के लिये रुपये 50/- प्रति प्रक्रिया चरण निर्धारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पंकज शर्मा)

उप सचिव

आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2022

क्रमांक/एफ 1-68/2021/1/59/बी.एन.वाय.एस. : राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 469 में प्रकाशित अधिसूचना क्रं /एफ 1-68/2021/1/59/ बी.एन.वाय.एस दिनांक 26/11/2021 में अधिसूचित म. प्र. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम (बीएनवायएस) प्रवेश नियम, 2021 के नियम-9.6 एवं 9.14 के नीचे निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करती है:-


1. नियम-9.6 - रजिस्ट्रेशन :-

रजिस्ट्रेशन शुल्क "रुपये 150/-" के स्थान पर "रुपये 500/-" प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. नियम-9.14 - संस्था का चयन :-

अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक च्वाइस फिलिंग/संशोधन/परिवर्धन के लिये रुपये 50/- प्रति प्रकिया चरण निर्धारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पंकज शर्मा)
उप सचिव
आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2022

क्रमांक/एफ 1-68/2021/1/59/यू जी. : राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 469 में प्रकाशित अधिसूचना कं /एफ 1-68/2021/1/59/यू जी. दिनांक 26/11/2021 में अधिसूचित म. प्र. आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2021 के नियम-9.6 एवं 9.14 के नीचे निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करती है:-


1. नियम-9.6 - रजिस्ट्रेशन :-

रजिस्ट्रेशन शुल्क "रुपये 150/-" के स्थान पर "रुपये 500/-" प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. नियम-9.14 - संस्था का चयन :-

अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक च्वाइस फिलिंग/संशोधन/परिवर्धन के लिये रुपये 50/- प्रति प्रकिया चरण निर्धारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आवेदनानुसार



(पंकज शर्मा)
उप सचिव
आयुष विभाग